भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 339

दिनांक 21 जुलाई, 2026 के लिए प्रश्न

आवारा कुत्तों का खतरा

339. श्री एम. के. राघवनः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर नसबंदी, रेबीज-रोधी टीकाकरण, पशु जन्म नियंत्रण और आवारा कुत्तों के प्रबंधन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानीय स्व-शासन संस्थानों की वित्तीय और प्रशासनिक तैयारी का आकलन किया है;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान, पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) केंद्रों, आश्रय स्थलों, पशु चिकित्सा अवसंरचना और जागरूकता कार्यक्रमों की स्थापना सहित आवारा कुत्तों के खतरे से निपटने में स्थानीय स्व-शासन संस्थाओं की सहायता करने के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिसमें उन्होंने स्थानीय निकायों के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध न होने के कारण आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए और अधिक वित्तीय सहायता की मांग की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ख) भारत सरकार ने बंध्यकरण के माध्यम से कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए पशु जन्म नियंत्रण (ABC) कार्यक्रम कार्यान्वित करने हेतु पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 अधिसूचित किए हैं। स्थानीय निकाय बंध्यकरण के माध्यम से 'पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान रिट याचिका (Suo-moto W.P.) 5/2025 के मामले में पशु जन्म नियंत्रण नियमों को उचित ठहराया है और दिनांक 19.05.2026 के आदेश के माध्यम से राज्य सरकारों को विस्तृत निर्देश और दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निधि की व्यवस्था करना राज्य सरकार का अधिदेश है।

हालांकि, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार वर्ष 2026-27 के दौरान राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता (SASCI) कार्यान्वित कर रहा है। राज्य सरकार विभिन्न सुधारात्मक उपाय करने के बाद इस योजना के तहत प्रोत्साहन का लाभ उठा सकती है। कुत्तों का बंध्यकरण और टीकाकरण SASCI के तहत एक महत्वपूर्ण सुधारत्मक उपाय है। राज्य सरकारें इस योजना के तहत कुत्तों के लिए आश्रय स्थल, पशु आश्रय स्थल और पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित कर सकती हैं।

पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार ने बंध्यकरण और रेबीज़रोधी टीकाकरण कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग को बेहतर करने तथा पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (NDLM) पोर्टल पर आवारा कुत्तों और पशु जन्म नियंत्रण केंद्रों के पंजीकरण का प्रावधान किया है।

(ग) जी नहीं।
